



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

### आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 22/2026/D-468

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 305432 दिनांक 22/06/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

| क्र.सं. | आवेदक का नाम                 | मूल आवंटी/लीजधारक का नाम                       | भूखण्ड संख्या | भूखण्ड क्षेत्रफल | ग.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना | योजना का नाम                       | सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया | कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज |
|---------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1       | Rakesh Kumar S/o BAHADUR MAL | श्री चन्द्र कांत गोयल पुत्र श्री पूनम चंद गोयल | 53            | 166.66 SQ. YARD  | Private                               | RAJDHANI METROPOLIS Sector/Block-P | Name Transfer                 | पंजीकृत विक्रय पत्र              |

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

#### प्रतिलिपि:-

1. Rakesh Kumar S/o BAHADUR MAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

#### नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाईन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।